निगरानी संख्या– 200 / 2017–18 अन्तर्गत धारा–333 जं0वि0अधि0

विवेक रवि पुत्र इशकलाल, निवासी–इब्राहिमपुर मसाही, परगना व तहसील भगवानपुर, जिला हरिद्वार।

बनाम

1– उप जिलाधिकारी / सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, रूड़की, जिला हरिद्वार, 2. ग्राम सभा इब्राहिमपुर मसाही, परगना व तहसील भगवानपुर, जिला हरिद्वार।

उपस्थित : श्री पी0एस0जंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री राजपाल सिंह।

निर्णय।

यह निगरानी निगरानीकर्ता उपरोक्त ने सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी / परगनाधिकारी, रूड़की द्वारा वाद संख्या–97 / 2001, नया वाद संख्या–30 / 2006–07 ग्राम सभा बनाम अमर सिंह आदि में पारित आदेश दिनांक 31–12–2009 के विरूद्ध धारा–5 मियाद अधिनियम के अन्तर्गत विलम्ब मर्षण प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के साथ इस आशय से प्रस्तुत किया गया है।

विलम्ब मर्षण प्रार्थना पत्र के अनुसार आदेश दिनांक 31–12–2009 की जानकारी निगरानीकर्ता को हल्का लेखपाल से दिनांक 25–03–2018 को हुई। तत्पश्चात आदेश की नकल हेतु आवेदन किया गया जो दिनांक 05–04–2018 को प्राप्त हुई तथा निगरानी बिना देरी किये प्रस्तुत की गई है।

निगरानी पत्र में जो तथ्य उल्लिखित है वह निम्नवत हैः–

वादग्रस्त भूमि पर 1359 फसली से निगरानीकर्ता के पूर्वजों व निगरानीकर्ता का कब्जा व नाम बदस्तूर चला आ रहा है, कि अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र तहसीलदार की आख्या को आधार मानकर निगरानीकर्ता की सीरदारी भूमि को पट्टा मानकर तथा प्रधान के प्रभाव में आकर निगरानीकर्ता को बिना सूचना / नोटिस दिये ग्राम सभा के नाम दर्ज करने के आदेश पारित किये हैं, कि आदेश पारित करने से पूर्व निगरानीकर्ता को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया है मात्र तहसीलदार की आख्या के आधार पर वादग्रस्त भूमि को राज्य सरकार के नाम दर्ज करने के आदेश पारित किये हैं, कि निगरानीकर्ता के पूर्वजों का कब्जा 1359 फसली से पूर्व का होने के कारण वह वादग्रस्त भूमि का भूमिधर बन गया है तथा धारा–176क (2) जं0वि0अधि0 के तहत अवर न्यायालय को निगरानीकर्ता के अधिकार निरस्त करने का कोई कानूनी अधिकार नही है।

मैंने निगरानी की ग्राह्यता पर निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा प्रस्तुत अभिलेखों का भली भांति अवलोकन किया।

जिस आक्षेपित आदेश के विरूद्ध ये निगरानी प्रस्तुत की गई है उसी आदेश से सम्बन्धित कतिपय निगरानियां पूर्व में पारित आदेश दिनांक 30—05—2016 एवं 26—02—2016 से स्वीकार कर इस आशय से प्रति प्रेषित की गई है कि राज्य सरकार और ग्राम सभा आसामी पट्टों के निर्धारण/निरसन अथवा उन्हें परित्यक्त (abandoned) घोषित करने के लिए विधितः नये सिरे से कार्यवाही के लिए स्वतंत्र है परन्तु ऐसी कार्यवाही स्पष्ट आधारों पर एवं प्रभावित व्यक्तियों को समुचित सुनवाई एवं अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर ही की जायेगी।

उक्त के दृष्टिगत ये निगरानी भी ग्राह्यता के स्तर पर स्वीकारणीय है तथा इस निगरानी के सम्बन्ध में पूर्व पारित आदेश दिनांक 30—05—2016 में अंगीकृत कर यह आदेश इस पर भी यथावत लागू होने योग्य है।

आदेश

निगरानी बिना अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख प्राप्त किये ग्रहण एवं स्वीकार कर आक्षेपित आदेश दिनांक 31—12--2009 एवं उससे पहले की सम्पूर्ण कार्यवाही निगरानीकर्ता के सापेक्ष प्रारम्भ से अभिखण्डित (quash) की जाती है। इस आदेश की एक—एक प्रति कलेक्टर, हरिद्वार एवं सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, रूड़की को संदर्भित आदेश दिनांक 30—05—2016 की एक—एक प्रति के साथ भेज दी जाय। इस न्यायालय की पत्रावली संचित हो।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)

आज दिनांक **11—04--2018** को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)